Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Supply Appeal No.-29/2025]
Abu Talib..Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.1.2026	**आदेश** यह Supply अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-24964/2018 में दिनांक-07.5.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत नयी अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति की दिनांक-29.09.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में Petitioner को PDS dealer (प्रखंड-जलालगढ़, पंचायत-रामदैली) के रूप में चयन नहीं करने के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। विपक्षी सं.-5 की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-05.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा दिनांक-15.6.2017 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। तथा यह कि उनके द्वारा फोकानिया (समकक्ष मैट्रिक) एवं मोलवी (समकक्ष इंटर) में विपक्षी से ज्यादा अंक रहने के बावजूद उनका चयन नहीं करते हुए विपक्षी सुमन कुमार का चयन किया गया। जो न्यायोचित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उनके पास कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित (ADCA) प्रमाण-पत्र है। किन्तु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा गलत ढ़ंग से विपक्षी सुमन कुमार का नियमविरूद्ध चयन किया गया। अपीलार्थी की ओर से तदनुसार विपक्षी सुमन कुमार के PDS dealer के अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सुमन कुमार की ओर से वाद पत्र में लगाये गये आरोपों को गलत एवं बेबुनियाद बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के आवेदन को अपूर्ण बताकर उक्त आवेदन पर अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं करने की अनुशंसा करते हुए अस्वीकृत किया गया एवं तदोपरांत उनका चयन किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-2020 दिनांक-16.7.2025 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी द्वारा कम्प्युटर साक्षरता संबंधित कोई भी प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही उक्त प्रतिवेदन के कंडिका-9 में यह अंकित है कि अपीलार्थी कम्प्युटर साक्षरता संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखते हैं। सुनवांई में अपीलार्थी अबु तालिब की ओर से अपने आवेदन के साथ कम्प्युटर प्रमाण-पत्र दाखिल करने संबंधी कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी अबु	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

P.

21.1.2026	तालिब द्वारा कम्प्युटर ज्ञान प्रमाण-पत्र (ADCA) दाखिल नहीं करते हुए केवल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र दाखिल किया गया था। इनके आवेदन पत्र के कंडिका -1(च) में कम्प्युटर ज्ञान के संदर्भ में **नहीं** अंकित है। जबकि विपक्षी सुमन कुमार के द्वारा कम्प्युटर ज्ञान प्रमाण-पत्र (ADCA) के साथ साथ अन्य आवश्यक कागजात समर्पित किया गया था। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के धारा-9(V) में यह उल्लेख है कि "उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगाः परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।" कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक-29.9.2018 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक में उपरोक्त नियम के अनुसार आवेदन पत्र के साथ कम्प्युटर ज्ञान प्रमाण-पत्र (ADCA) दाखिल करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया है। जो विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस अपील वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Pay K. 21/1/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Pay K. 21/1/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया